CHAPTER -V
INPUT TAX CREDIT

Rule 36 : Documentary requirements and conditions for claiming input tax credit

(1) The input tax credit shall be availed by a registered person, including the Input Service Distributor, on the basis of any of the following documents, namely,-

- **(a)** an invoice issued by the supplier of goods or services or both in accordance with the provisions of section 31;
- **(b)** an invoice issued in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (3) of section 31, subject to payment of tax;
- **(c)** a debit note issued by a supplier in accordance with the provisions of section 34;
- **(d)** a bill of entry or any similar document prescribed under the Customs Act, 1962 or rules made thereunder for the assessment of integrated tax on imports;
- **(e)** an Input Service Distributor invoice or Input Service Distributor credit note or any document issued by an Input Service Distributor in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 54.

(2) Input tax credit shall be availed by a registered person only if all the applicable particulars as specified in the provisions of Chapter VI are contained in the said document [1]**[****]**.

[2]**[Provided that** if the said document does not contain all the specified particulars but contains the details of the amount of tax charged, description of goods or services, total value of supply of goods or services or both, GSTIN of the supplier and recipient and place of supply in case of inter-State supply, input tax credit may be availed by such registered person.**]**

(3) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement or suppression of facts.

---

1 The words ", and the relevant information, as contained in the said document, is furnished in **FORM GSTR-2** by such person" omitted by Noti. No. 19/2022—Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

2 Proviso inserted by Noti. No. 39/2018–Central Tax, dt. 04-09-2018 w.e.f. 04-09-2018.

[3]**[(4)** No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of

---

3 Sub-rule (4) substituted by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022. Earlier to substitution it read as under:

"[A]**[(4)** Input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been [B]**[**furnished**]** by the suppliers under sub-section (1) of section 37 [C]**[**in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility**]**, shall not exceed [D]**[**5 per cent.**]** of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes the details of which have been [E]**[**furnished**]** by the suppliers under sub-section (1) of section 37 [F]**[**in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility**]**.**]**"

A Inserted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 [CGST (6th Amendment) Rules, 2019] w.e.f. 09-10-2019. During 09-10-2019 to 21-12-2021 it read as under

B Substituted for "uploaded" by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 01-01-2021.

C Inserted by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 (w.e.f. 01-01-2021).

D Substituted for "[G][10 per cent.]" by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 (w.e.f. 01-01-2021).

E Substituted for "uploaded" by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 (w.e.f. 01-01-2021).

F Inserted by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22- 12-2020 (w.e.f. 01-01-2021).

G Substituted for "20 per cent" by Noti. No. 75/2019–Central Tax, dt. 26-12-2019 (w.e.f. 01-01-2020).

[H]**[Provided that** the said condition shall apply cumulativeky for the period February, March, April, May, June, July and August, 2020 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period September, 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.]

[I]**[Provided further** that such conditions such apply cumulatively for the period April, May and June, 2021 and the return in FORM GSTR-3B for the tax period June, 2021 or quarter ending June, 2021 as the case may be, shall be furnished with the cumulative adjustment of Input tax credit for the said months in accordance with the condition above.]

H Proviso inserted by Noti. No. 30/2020-Central Tax, dt. 03-04-2020 w.e.f. 03-04-2020.

I Proviso substituted by Noti. No. 27/2021-Central Tax, dt. 01-06-2021 w.e.f. 01-06-2021. Earlier to substitution it read as under:

[J]**[Provided further that** such conditions shall apply cumulatively for the period April and May, 2021 and the return in FORM GSTR-3B for the tax period May,

invoices or debit notes the details of which are required to be furnished under sub-section (1) of section 37 unless,—

(a) the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility; and

(b) the details of [4]**[**input tax credit in respect of**]** such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in **FORM GSTR-2B** under sub-rule (7) of Rule 60.**]**

[5]**[Provided that** the said condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August, 2020 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period September, 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.**]**

[6]**[Provided further** that such condition shall apply cumulatively for the period April, May and June, 2021 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period June, 2021 or quarter ending June, 2021, as the case may be, shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.**]**

2021 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the conditions above.]

J Proviso inserted by Noti. No. 13/2021-Central Tax, dt. 01-05-2021 w.e.f. 01-05-2021.

4 The words "input tax credit in respect of" inserted by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

5 Proviso inserted by Noti. No. 30/2020–Central Tax, dt. 03-04-2020 w.e.f. 03-04-2020.

6 Proviso substituted by Noti. No. 27/2021–Central Tax, dt. 01-06-2021 w.e.f. 01-06-2021. Earlier to substitution it read as under:

"[A]**[**Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April and May, 2021 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period May, 2021 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.**]**

A. Inserted by Noti. No. 13/2021 - Central Tax, dt. 01-05-2021 w.e.f. 01-05-2021.

अध्याय 5
इनपुट कर प्रत्यय

नियम 36 : इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के लिए दस्तावेजी अपेक्षाएं और शर्तें

(1) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित किसी दस्तावेज के आधार पर इनपुट सेवा वितरक भी है, अर्थात् :–

(क) धारा 31 के उपबंधों के अनुसार माल या सेवा या दोनों के प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया बीजक;

(ख) कर के संदाय के अध्यधीन धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया बीजक;

(ग) धारा 34 के उपबंधों के अनुसार किसी प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया नामे नोट;

(घ) प्रवेश पत्र या आयातों पर एकीकृत कर के निर्धारण के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अन्य वैसा ही दस्तावेज;

(ङ) इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक जमा पत्र अथवा नियम 54 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी किया गया कोई दस्तावेज।

(2) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा, यदि उक्त दस्तावेज में अध्याय 6 में यथाविनिर्दिष्ट लागू सभी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं [1]**[****]**।

[2]**[परन्तु** यदि उक्त दस्तावेज में सभी विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं है, किन्तु प्रभारित कर की रकम के ब्यौरे, माल या सेवाओं का विवरण, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का कुल मूल्य, प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्यांक और अंतर्राज्यिक प्रदाय की दशा में प्रदाय का स्थान अंतर्विष्ट है तो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया जा सकेगा।

(3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कर की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जाएगा, जिसका संदाय किसी आदेश के अनुसरण में किया गया है, जहां ऐसी मांग की पुष्टि किसी कपट, जानबुझकर किए गए गलत कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण की गई हैं।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द "और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर–2** में दी गई है।" विलोपित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2022।

2 अधिसूचना क्रमांक 39/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.09.2018)।

[3][(4) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इन्वॉइस या डेबिट नोट्स जिसका ब्यौरा धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिया जाना जरूरी हो, से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक कि,–

---

3 अधिसूचना क्रमांक 40/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा उपनियम (4) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"[A][(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उन डेबिट नोट या बीजकों की बाबत् उपभोग किए जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन [C][प्ररूप जीएसटीआर–1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए] [B][प्रस्तुत] नहीं किए गए हैं, उन डेबिट नोट या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा की बाबत् उपलब्ध पात्र प्रत्यय के [D][5 प्रतिशत] से अधिक नहीं होगा जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन [F][प्ररूप जीएसटीआ–1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए] [E][प्रस्तुत] किए गए हैं।

A पहले अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (4) अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)।

B अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा ''अपलोड'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

C अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

D अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा "[G][10%]" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

E अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा ''अपलोड'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

F अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

G अधिसूचना क्रमांक 75/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2020 द्वारा ''20%'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2020)।

[H]**[परन्तु** कि उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2020 के महीनों के लिए संचयी रूप से लागू होगी और सिंतबर, 2020 की कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।]

[I]**[परन्तु** यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।]

H अधिसूचना क्रमांक 30/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 03.04.2020 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 03.04.2020)।

I अधिसूचना क्रमांक 27/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 द्वारा दूसरा परन्तुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.06.2021)। प्रतिस्थापना के पूर्व यह इस प्रकार था :

[J]**[परन्तु** यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल और मई, 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और मई, 2021 की कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।]

J पहले अधिसूचना क्रमांक 13/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.05.2021 द्वारा यह परन्तुक अंतःस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 01.05.2021)।

(क) ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स का ब्यौरा आपूर्तिकर्ता के द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर–1** में बाह्य आपूर्ति से संबंधित विवरण में न दे दिया गया हो या ऐसे बीजक सुविधा देने का प्रयोग न किया गया हो; और

(ख) ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स **[4][**जिनके इनपुट टैक्स क्रेडिट**]** का ब्यौरा नियम 60 के उपनियम (7) के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर–2ख** में उक्त पंजीकृत व्यक्ति को न प्रेषित् कर दिया गया हो।

[5][परंतु कि उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों के लिए संचयी रुप से लागू होगी और सितम्बर, 2020 की कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जायेगी।**]**

[6][परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिये संचयी रूप से लागू होगी और जून 2021 या जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिये प्ररूप जीएसटीआर–3ख की विवरणी, उक्त महिनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तो के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जायेगी।**]**

---

4 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द ''जिनके इनपुट टैक्स क्रेडिट'' अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2022।

5 अधिसूचना क्रमांक 30/2020–केन्द्रीय कर दिनांक 03.04.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 03.04.2020)।

6 अधिसूचना क्रमांक 27/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.06.2021)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

"[A][परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल और मई, 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और मई, 2021 की कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।]

A. अधिसूचना क्रमांक 13/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.05.2021 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.05.2021)।